

न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा ( नागौर ) राजस्थान

अज अदालत- सुनाप हेमानी ( R.T.S )

प्रकरण संख्या :-84/2018

निर्णय दिनांक 16.10.2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये पटवारी		सदाकंवर पत्नी माधालदास साद
पटवार मण्डल बासेड		निवासी सिडियास

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :-

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बासेड ने अप्रार्थी के विरुद्ध नोटीस रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सन्वत् 2075 में सरहद ग्राम सिडियास के खसरा नम्बर 435 में किरम बा.1 मेंसे रकबा 0.4800 हेक्ट. भूमि में बाजरा कास्त कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 81 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते पत्रावली साबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी सदाकंवर ने नोटिस तामील होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी ने दिनांक 16.10.18 को उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं निरीक्षक भू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम सिडियास के खसरा नम्बर 435 में किरम बा.1 मेंसे रकबा 0.4800 हेक्ट. भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमण घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बंदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 8 रूपये प्रति हेक्ट. की दर से अतिक्रमित रकबा 0.4800 हेक्ट. भूमि के 2.88 रूपये लगान का 50 गुणा 144/- अक्षरे एक सो चम्मागीस रूपये वरतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी इत्यादि को कमरा नाम कायमी व वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बंदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर